उद्योगों के लिये भू-उपयोग परिवर्तन की दरें घटीं

लखनऊ। राज्य सरकार ने सूबे में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिये बडा फैसला लिया है। जिसके तहत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भू-उपयोग परिवर्तन के आवेदनों को 90 दिन के अन्दर करना होगा। इसके साथ ही कृषि से औद्योगिक श्रेणी में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की दरों को भी घटा दिया गया है। कृषि से औद्योगिक श्रेणी में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क सर्किल रेट के 35 प्रतिशत की दर के स्थान पर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। बड़े भू-खण्डों पर टेलीस्कोपिक दरों को सम्मिलित करते हुए यह शुल्क मात्र 14 प्रतिशत रह जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक आस्थानों-औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को दोहरे टैक्स के बोझ से मुक्ति मिलेगी। जिला पंचायतों द्वारा एकत्र किये गये टैक्स का न्यूनतम 60 प्रतिशत उसी औद्योगिक क्षेत्र के रख रखाव में व्यय किया जाएगा।